Factual Report in the matter of Naresh Vashisth V/s Union of India & Ors. (OA No. 41/2025) as per the directions of Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal

Background

In the case filed by Sh. Naresh Vashisth V/s Union of India & Ors. before the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal, the applicant Sh. Naresh Vashisth has raised the issue regarding encroachment on the Khasra No. 5622 (old Khasra No. 6445) and 5628 (old Khasra No. 6467) of village Amer and alleged that this land is reserved forest and Vankhand Amer-54 of Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is also alleged that the Asst. Conservator of Forest Nahargarh vide order dated 26.05.2023 and 01.09.2023 has issued directions to the Regional Forest Officer, Nahargarh Wildlife Sanctuary to remove the encroachment by the private respondents but the same has not been done till date

Order

Hon'ble NGT Central Zone Bench passed an order dated 08.04.2025 which inter-alia says as under:-

> *"1. Issue raised in this application is encroachment on the Khasra No. 5622 (old Khasra No. 6445) and 5628 (old Khasra No. 6467) of village Amer and this land is reserved forest and Vankhand Amer-54 of Nahargarh Wildlife Sanctuary. The Asst. Conservator of Forest Nahargarh vide order dated 26.05.2023 and 01.09.2023 has issued directions to the Regional Forest Officer, Nahargarh Wildlife Sanctuary to remove the encroachment by the private respondents but the same has not been done till date. Thus, this application has been moved with the prayer for issue of direction to stoppage of illegal construction and non-forest activities within the wildlife sanctuary.*
>
> *5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:*
>
> *(i) One Representative from the Principal Chief Conservator of Forest-cum-Chief Wildlife Warden, Forest Department, Govt. of Rajasthan (Rajasthan)*

(ii) One Representative from CPCB

(iii) One Representative from Collector, Jaipur (Rajasthan)

(iv) One Representative from the State Pollution Control Board, (Rajasthan)

6. *The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*

Field Visit

The State Board being Nodal Agency in this matter, sought the nominations from departments involved in the committee constituted by Hon'ble NGT and following officials were nominated:

(i) Sh. Vijay Pal Singh, Deputy Conservator of Forests, (WL), Zoo, Jaipur.

(ii) Sh. Bajrang Lal Swami, Sub-Divisional Officer, Amer, Jaipur.

(iii) Smt. Pooja, Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North)

The CPCB vide letter dated 19.06.2025 informed that they have filed an Interlocutory Application before Hon'ble NGT and Hon'ble NGT has been requested to remove CPCB from the Joint Committee. Copy of CPCB letter dated 19.06.2025 is enclosed and marked as **Annexure-1.**

Copy of the nominations are enclosed and collectively marked as **Annexure-2**. The committee decided to visit the site on 25.06.2025 for the purpose of taking ground observations and analysis of official records. It is pertinent to mention that the petitioner was also contacted telephonically to be present during the visit but he did not show up.

Observations

During field visit and on perusal of records, it was observed that: -

(i) Matter is related to commercial and residential establishment at khasra no 5622 and 5628, village Amer, Tehsil-Amer, District- Jaipur. The Hotel and Restaurant establishment i.e. M/s Kanak Valley & Restaurants and the residential activity were visited by the joint committee members.

(ii) As per the categorization of the State Board, Hotels (less than 3 Star) and/or Hotels having more than 20 rooms and less than 100 rooms are covered under Orange category. The commercial establishment has 29 rooms, 02 banquet hall and restaurant with seating capacity approx. 120 pax. The unit was found established and operational without obtaining prior consent from the State Board.

(iii) Now, the unit has applied for obtaining Consent to Establish under the provisions of the Water Act, 1974 and the Air Act, 1981 on 25.06.2025, which shall be considered on its merits.

(iv) During the committee visit, the restaurant activity (capacity approx. 120 pax) was found operational and no rooms (29 rooms) were found occupied.

(v) It was reported by the representative of Forest Department that khasra no. 5622 is currently registered under the name of the Forest Department. and khasra no. 5628 is currently registered under the name of the Jaipur Development Authority and both of these Khasra numbers (5622 and 5628) fall under the reserve forest declared by order dated 22.11.1961 and also inside the Nahargarh Wild Life Sanctuary notified on 22.09.1980.

(vi) It was also reported by the representative of Forest Department regarding removal of the encroachment that the Court of Assistant Conservator of Forests, Nahargarh Wildilfe Sanctuary vide Judgments dated 26.05.2023 and 01.09.2023 had issued the directions to the Regional Forest Officer, Nahargarh Wildlife Sanctuary to remove the encroachment made by private respondents upon Khasra No. 5622 of Village Amer and also imposed penalty of 1 Lakhs each upon private respondents for restoration of the forest land and Regional Forest Officer was also directed to made necessary arrangements in order to protect the forest land from encroachment. The Regional Forest Officer had issued letters dated 28.02.2025 to private respondents and instructed them to remove the encroachment and vacate the forest land within the period of 3 days. It

has been further informed by the representative of Forest Department that eviction will be done according to regulations.

(vii) It is also noteworthy that, the work related to defining the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary is under review by the State Forest Department as the matter is sub judicial in **E.A. No. 06/2024 in O.A. No. 97/2022, Kamal Tiwari V/s Union of India & Ors pending before Hon'ble NGT, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL.**

In this regard, as per the representative of Forest Department, meetings were convened under the chairmanship of Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wild Life Warden, Rajasthan, Jaipur on 07.01.2025, 21.01.2025 and 26.03.2025.

(Copy of the Minutes of Meeting dated 07.01.2025, 21.01.2025 and 26.03.2025 are enclosed and marked as **Annexure- 3**).

Conclusion

(I) Both the Khasra numbers 5622 and 5628 fall under the reserve forest declared by order dated 22.11.1961 and also inside the Nahargarh Wild Life Sanctuary notified on 22.09.1980.

(II) The Hotel and Restaurant Activity was operational without obtaining valid consent to establish/consent to operate from the State Board under the provisions of the Water Act, 1974 and the Air Act, 1981. Now, The Hotel and Restaurant Activity has applied for obtaining Consent to establish under the provisions of the Water Act, 1974 and Air Act, 1981 vide application dated 25.06.2025.

Enclosures

(i) CPCB letter dated 19.06.2025. **(Annexure-1).**

(ii) Office Order dated 11.05.2025 issued from District Collectorate, Jaipur nominating Sub Divisional Officer, Amer. Letter dated 26.05.2025 issued from Forest Department nominating DCF (WL), Zoo, Jaipur and office order dated 08.05.2025 issued from RSPCB appointing RO, Jaipur (North) as OIC in the case. **(Annexure-2)**.

(iii) Copy of the Minutes of Meeting dated 07.01.2025, 21.01.2025 and 26.03.2025 (**Annexure- 3).**

(iv) Photographs taken during the field visit **(Annexure -4)**.

(Pooja)	Bajrang Lal Swami	(Vijay Pal Singh)
Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North)	SDO, Amer, Jaipur	Deputy Conservator of Forests, Wild Life (Zoo), Jaipur.

Annexure-1

क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

CM-13012/14/2025-LAW-RD Bhopal/21970/ 295 दिनाँकः 19 जून, 2025

प्रति,

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ए-4, इंस्टीट्यूशनल एरिया
झालाना डूंगरी, जयपुर – 302004

विषय: O.A. No. 41/2025(CZ) Naresh Vashisth Vs Union of India & Ors. में माननीय NGT द्वारा गठित संयुक्त समिति में CPCB की नामांकन स्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल ज़ोन, भोपाल द्वारा O.A. No. 41/2025 (CZ), *Naresh Vashisth Vs Union of India & Ors.* में पारित आदेश दिनांक 08.04.2025 के अनुसार एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को भी एक सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मुख्य रूप से वन भूमि (Reserved Forest) एवं वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र (Nahargarh Wildlife Sanctuary) से संबंधित है, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत वन विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है। इस प्रकार के प्रकरणों में CPCB की न तो कोई वैधानिक भूमिका है और न ही तकनीकी विशेषज्ञता, जिससे वह इस विषय में कोई ठोस टिप्पणी अथवा निरीक्षण कर सके।

उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, CPCB द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक अंतरिम आवेदन (Interlocutory Application – IA) प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि CPCB का नाम उक्त संयुक्त समिति से हटाया जाए।

अतः जब तक माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उक्त IA पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता, CPCB की समिति में भागीदारी के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

भवदीय,

19/06/25

(डॉ. अजीत कुमार विद्यार्थी)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपिः डिवीजनल हेड, विधि अनुभाग, के.प्र.नि.बो., दिल्ली – की ओर कृपया सूचनार्थ।

क्षेत्रीय निदेशक

पताः "परिवेश भवन"
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
ईपीएबीएक्स : 0755-2775385, 2775386
क्षेत्रीय निदेशक डायरेक्ट : 0755-2775384

मुख्यालयः
परिवेश भवन
पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
दूरभाष क्र : 011-43102030

ई-मेलः cpcb.bhopal@gov.in, **वेबसाइटः** www.cpcb.nic.in

Annexure-2

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नम्बर: 0141–2700151 ई–मेल: pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ.8(18)2025 / ई–3648–7491708 / विधि / मुवजीप्र दिनांक

निमित्त,

प्रभारी अधिकारी,
सहायक वन संरक्षक, नाहरगढ़ अभयारण्य,
कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिड़ियाघर,
जयपुर।

विषय:– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल ज़ोन बेंच, भोपाल में लंबित मूल प्रार्थना–पत्र संख्या 41 / 2025 (cz) नरेश वशिष्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स।

संदर्भ :– उप वन संरक्षक (आयोजना), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक 412–413 दिनांक 16.05.2025

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में दिनांक 19.5.2025 से आपको प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.2025 की पालना में शीघ्र एक्शन टेकन रिपोर्ट उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिड़ियाघर, जयपुर के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त कर माननीय न्यायालय में समयावधि में पेश करावें एवं जवाब तैयार कर जवाब की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीया

(शिखा मेहरा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

क्रमांक:एफ.8(18)2025 / ई–3648–7491708 / विधि / मुवजीप्र दिनांक: 26-05-2025

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान जयपुर।
2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिड़ियाघर, जयपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

Legal

Document certified by Shikha Mehra
<shikhamehraifs@gmail.com>.
Digitally Signed by Shikha Mehra
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date :26-05-2025 06:57:30

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004

Phone :0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

Helpline No.: 0141-2716877

No. F.10 (740) RPCB/Legal/NGT/2025/ 161 - 165 Date: 08/05/2025

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur (North).
Mobile No.: 7073581777
Email: rorpcb.jaipur[at]gmail[dot]com

Subject – Regarding the Hon'ble National Green Tribunal (CZ) Bench, Bhopal order dated 08.04.2025 passed in Original Application No. 41/2025 (CZ, Naresh Vashisth V/s Union of India & Ors.

Sir,

With reference to above subject matter, it is to inform that the Hon'ble NGT(CZ) Bench, Bhopal has passed an order dated 08.04.2025and directed inter-alia as follow:-

"5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, froma Joint Committee consisting of:

(i) One Representative from the Principal Chief Conservator of Forest-cum-Chief Wildlife Warden, Forest Department, Govt. of Rajasthan (Rajasthan)

(ii) One Representative from CPCB

(iii) One Representative from Collector, Jaipur (Rajasthan)

(iv) One Representative from the State Pollution Control Board, (Rajasthan)

6. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support. "

In light of the aforesaid order dated 08.04.2025, you are hereby nominated as member of the committee as well as Nodal officer on behalf of the RSPCB with the direction to ensure compliance of the Hon'ble NGT(CZ) Bench dated 08.04.2025. Copy of the aforesaid order dated 08.04.2025 is being enclosed for ready reference.

Enclosed-As above

(Sharda Pratap Singh)
Member Secretary

Copy to following for information/necessary action –

1. Principal Chief Conservator of Forest (Wild Life) , Forest Department , Aranya Bhawan, Jaipur
2. Member Secretary, Central Pollution Control Board, New Delhi
3. District Collector, Jaipur , Rajasthan
4. Regional Director, Regional Directorate , CPCB , Bhopal

Member Secretary

Signature valid
Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Member Secretary
Date: 2025.05.07 20:50:07 IST
Reason: Approved

O.I.C.

RajKaj Ref No.: 15124529

कार्यालय जिला कलेक्टर एंवमं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

क्रमांकः—आर—1/(79)25/41—2025/विविध/ 2484 दिनांकः 11/05/25

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण केन्द्रीय बैच भोपाल प्रकरण संख्या 41/2025 (सीजेड) उनवान नरेश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य समक्ष माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2025 में जॉच करने हेतु संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें जिला कलक्टर, जयपुर के प्रतिनिधि के रूप में उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर को नियुक्त किया जाता है।

(विनीता सिंह)
अति0 कलक्टर प्रथम एवं
प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा,
कलेक्ट्रेट, जयपुर

क्रमांकः—आर—1/(79)25/41—2025/विविध/ 2485—86 दिनांकः 11/05/25

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर।
2. सदस्य सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, 4 इन्ड्रिस्टियल एरिया, झालाना डूंगरी, जयपुर के पत्रांक 165 दिनांक 08.05.25 के कम-में सूचनार्थ प्रेषित है।

19/05/25
Legal
AEE
NO
Pl Send a Copy to RO, Jaipur (P)
21/05/2025
1894
20/05/2025

अति0 कलक्टर प्रथम एवं
प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा,
कलेक्ट्रेट, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Vinita Singh
Designation: Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.05.09 16:27:20 IST
Reason: Approved

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
फोन नं॰ 0141–2700151 ई–मेलः pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 8 (07)2024 / विधि / मुवजीप्र–02868 / 2024–25 दिनांकः ई–हस्ताक्षर

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 07.01.2025 को नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 में अंकित सीमाओं एवं नाहरगढ अभ्यारण्य के ईको सेन्सिटिव जोन में प्रदर्शित सीमाओं में अन्तर के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1. श्री वेंकटेश शर्मा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान, जयपुर।
2. श्री के.सी.ए. अरूण प्रसाद, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए), राजस्थान, जयपुर।
3. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान, जयपुर।
4. श्री के.सी. मीना, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त), राजस्थान, जयपुर।
5. श्री टी. मोहनराज, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर।
6. श्री अशोक जैन, उप वन संरक्षक (आई.टी.), राज0 जयपुर।
7. श्री जगदीश चन्द गुप्ता, उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर।
8. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), राज0 जयपुर।
9. सर्वेयर, कार्या0 उप वन संरक्षक, (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, जयपुर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष नाहरगढ अभयारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09,1980 को जारी की गई , में उल्लेखित अभयारण्य की चारों दिशाओं की सीमाओं के विवरण के बारे में अवगत कराया। नाहरगढ अभयारण्य के इको सेसेटिव जोन की जारी अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 में संलग्न जी टी शीट में अभयारण्य की सीमा का अवलोकन कराया। नक्शे पर दर्शायी गई अभयारण्य की सीमा को परपल रंग से मार्क किया गया है। उक्त नक्शे में सीमा पर 1 से 100 बिन्दु अंकित किये गये है, जबकि अधिसूचना में अभयारण्य की सीमा के केवल 11 बिन्दुओं के जी. पी. एस. कोआर्डिनेटस की सूची का उल्लेखन किया गया है, जिनसे पूरी अभयारण्य की सीमा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। नक्शे पर प्रदर्शित / मार्क की गयी अभ्यारण्य की सीमा को अभयारण्य की जारी की गई अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 के अनुसार पढने पर नक्शे पर प्रदर्शित की गई सीमा में काफी त्रुटियॉ देखने में पायी गई । उक्त नक्शे पर मार्क की गई सीमा एवं अभयारण्य की अधिसूचना में अन्तर के कारण माननीय न्यायालयों में काफी संख्या में वाद विचाराधीन है। जिनके कारण माननीय न्यायालयों में अलग अलग तरह से जवाब प्रस्तुत करने से वादों की संख्या में वृद्वि लगातार हो रही है। उक्त समस्या का समाधान किया जाना आवश्यक

Signature valid
Digitally signed by Pa[illegible] Kumar Upadhyay
Designation : [illegible] Chief Conservator Of [illegible]
Date: 2025.01.09 [illegible]:59:55 IST
Reason: Approved

उक्त संबंध में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से चर्चा की गई और अभयारण्य की अधिसूचना एवं नाहरगढ अभयारण्य के इको सेंसेटिव जोन की अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 को जारी की गई, के साथ नक्शे पर मिलान कर अध्ययन किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नाहरगढ अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 के आधार पर राजस्व मैप पर अभयारण्य का नक्शा बनाया जावे। जिसके लिए उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, जयपुर को दिनांक 17.01.2025 तक समिति के समक्ष नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य का नक्शा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जिसे समीक्षा उपरान्त राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाया जावेगा। इसके साथ–साथ इको सेंसेटिव जोन की अधिसूचना के आधार पर इको सेंसेटिव जोन का संशोधित नक्शा भी प्रस्तुत किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(पवन कुमार उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 8 (07)2024 / विधि / मुवजीप्र–02868 / 2024–25 दिनांकः ई–हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान, जयपुर।
3. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए), राजस्थान, जयपुर
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त), राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर।
7. उप वन संरक्षक (आई.टी.), राज0 जयपुर।
8. उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Pawan Kumar Upadhyay
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2025.01.09 14:59:55 IST
Reason: Approved

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नं. 0141–2700151 ई–मेलः pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 8(07)2024 / विधि / मुवजीप्र–02868 / 2024–25 Jaipur, Date: As Per Sign

बैठक कार्यवाही विवरण

नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 में अंकित पूर्वी सीमा की विवेचना एवं ईको–सेन्सिटिव जोन के संबंध में दिनांक 07.01.2025 को आयोजित बैठक में उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर को दिनांक 17.01.2025 तक उक्त अधिसूचना के अनुसार नक्शा तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिडियाघर द्वारा नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया गया। उक्त के क्रम अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में दिनांक 21.01.2025 में दोपहर 3.00 बजे आयोजित की गई थी। बैठक में निम्नांकित अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित हुए–

1. श्री वेंकटेश शर्मा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान, जयपुर।
2. श्री के.सी.ए. अरूण प्रसाद, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए., राज0, जयपुर।
3. श्री सुपोंग शशी, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर।
4. श्री विजय पाल सिंह, उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, जयपुर।
5. श्री अशोक जैन, उप वन संरक्षक (आई.टी.), जयपुर।
6. श्री गिरीश कुमार शर्मा, सर्वेयर, कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, जयपुर।

उपस्थित सदस्यों द्वारा उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत नक्शों का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत नक्शों को अभयारण्य की सीमा विवरण के अनुरूप प्रदर्शित होने में कमियां पाई गई।

इस संबंध में श्री वेंकटेंश शर्मा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान, जयपुर द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ11(39)राज–8 / 80 दिनांक 22.09.1980 अनुसार नाहरगढ वन्य जीव अभयारण्य की

सीमा विवरण के अनरूप नक्शा बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि पूरी तैयारी नये सिरे से किया जाना उचित होगा, जिस पर सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति जारी की गई।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि) द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ11(39)राज–8 / 80 दिनांक 22.09.1980 अनुसार नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र एवं विवरण में दिए गए समस्त गांवों के मूल नक्शे एकत्रित किये जाकर सभी नक्शों को एक साथ बिछाकर नाहरगढ अभयारण्य की सीमा विवरण के अनुसार उन नक्शों के उपर लाईन डाली जाये ताकि सीमा का सही चित्रण हो सकें। जिसके संबंध में सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति जारी की गई।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्यवाही पूर्ण की जाकर दिनांक 28.01.2025 को दोपहर बाद 3.00 बजे समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(पवन कुमार उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 8(07)2024 / विधि / मुवजीप्र–02868 / 2024–25 Jaipur, Date: As Per Sign

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ.सी.ए., राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर।
7. उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर।
8. उप वन संरक्षक (आई.टी.), जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally Signed by P.K.
Upadhyaya
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date :28-01-2025 03:31:53

RajKaj Ref No.: 13250953

<u>कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एंव मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान</u>

अरण्य भवन, झालाना, जयपुर–302004, e-mail – pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in , Ph.- 0141-2700151

क्रमांक : एफ.8(07)2024 / विधि / मुवजीप्र–02868 दिनांक : ई–हस्ताक्षर

<u>बैठक कार्यवाही विवरण</u>

बैठक सूचना क्रमांक 14394281 दिनांक 26.03.2025 के क्रम में नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 में अंकित सीमाओं की विवेचना एवं तत्संबंधी कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक व मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की अध्यक्षता में द्वितीय बैठक उनके कक्ष में आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुए।

1. श्री वेंकटेश शर्मा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्रम एवं विधि अरण्य भवन, जयपुर।
2. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव राजस्थान, जयपुर।
3. श्री टी. मोहन राज, मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर।
4. श्री सी.आर. मीणा, मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयो0 एवं वन बन्दो0 राज0, जयपुर।
5. श्री सुदर्शन शर्मा, उप वन संरक्षक, एफ.सी.ए. जयपुर।
6. श्री अशोक कुमार जैन, उप वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर।
7. श्री विजयपाल सिंह, उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, जयपुर।
8. श्री प्रेम शंकर मीणा, सहायक वन संरक्षक, नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य, जयपुर।
9. श्री गिरीश नारायण शर्मा, सर्वेयर, कार्या0 उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर।

बैठक प्रारम्भ की जाकर पूर्व की बैठक में दिऐ गये निर्देशों की प्रगति के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही के बारे में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

1. श्री वेंकटेश शर्मा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्रम एवं विधि द्वारा इस क्रम में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त रूप से अवगत कराते हुऐ उप वन संरक्षक आई.टी को इस कार्य के लिये अपनाई गयी सम्पूर्ण तकनीकी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।
2. श्री अशोक कुमार जैन, उप वन संरक्षक आई.टी द्वारा वन्यजीव चिडियाघर वन मंडल से उप वन संरक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न वन भूमि रिकॉर्ड जैसे मूल नोटिफिकेशन, वन भूमि खसरा मैप, खसरा मिलान रिकॉर्ड, एवं अन्य उपलब्ध विभिन्न आदेश आदि के आधार पर तैयार कर वन मंडल द्वारा प्रस्तुत किये गये डिजिटल नक्शों में प्रयुक्त डेटा एवं प्रक्रिया से सदस्यों को अवगत कराया गया।
3. श्री जैन द्वारा दी गयी जानकारी एवं वन भूमि तथा अन्य समस्त संबंधित भुमियों पर नोटिफिकेशन के क्रम में दिशावार विवरण के अनुसार समिति सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी।
4. इस प्रकार खसरा स्केल पर खसरा वार जानकारी, अधिसूचित वन भूमि एवं राजस्व व अन्य सभी प्रकार की भूमियों की स्थितियों का आंकलन करते हुये अभ्यारण्य की डिजिटल सीमा लाईन को प्रस्तुत नक्शों पर इंगित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत उप वन संरक्षक आई0टी0 एवं उप वन संरक्षक, वन्य जीव चिडियाघर को निर्देशित किया गया।
5. इस अभ्यारण्य सीमा लाईन को डिजिटल रूप में बनाये जाने हेतु उप वन संरक्षक आई.टी श्री जैन द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2025 तक पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया।
6. श्री वेंकटेश शर्मा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्रम एवं विधि द्वारा उप वन संरक्षक आई.टी को अपनायी गयी तकनीक कार्यप्रणाली **(SOP)** का सरल भाषा में विवरण तैयार कर अगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
7. अभ्यारण्य क्षेत्र के संबंध में सभी प्रकार की भूमि से संबंधित आव[illegible] पत्र, डिनोटिफाईड भूमि नोटिफिकेशन, अन्य विभागों को आवंटित की गयी भूमि नोटिफिकेशन इत्यादि क्रमबद्ध रूप से एक पृथक पत्रावली के रूप में तैयार कर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान को उपलब्ध कराने हेतु उप वन संरक्षक, वन्य जीव चिडियाघर को निर्देशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shikha Mehra
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2025.04.03 04:25:54 IST
Reason: Approved

8. इसी प्रकार अभ्यारण्य क्षेत्र की उक्त प्रक्रिया से इंगित की जाने वाली सीमा लाईन के ग्रामवार सीमा इंगितीकरण के औचित्य विवरण भी सर्वेयर कार्यालय हाजा उप वन संरक्षक चिडियाघर जयपुर द्वारा तैयार किये जाने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया जिसमें समस्त प्रकार की भूमि का विस्तृत विवरण उल्लेखित किया जावे कि संबंधित ग्राम की भूमि किस कारण छोड़ी गयी है अथवा जोड़ी गयी है।
9. बैठक चर्चा के दौरान यह भी निर्देशित किया गया कि उक्तानुसार तैयार किये गये नक्शे के आधार पर उप वन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर द्वारा भौतिक रूप से मौके की स्थिति का परीक्षण/मुआयना करवाया जावे जिससे मौके की वर्तमान वास्तविक स्थिति की सही जानकारी ली जा सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई एवं अगली बैठक दिनांक 04.04.2025 को सांय 5.00 बजे नियत कर उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिड़ियाघर को ग्राउन्ड ट्रथिंग की रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।

(शिखा मेहरा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
राजस्थान

क्रमांक : एफ.8(07)2024/विधि/मुवजीप्र–02868 दिनांक :ई–हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्रम एवं विधि, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,एफ.सी.ए., राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोंबस्त, राजस्थान, जयपुर।
7. उप वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, अरण्य भवन जयपुर।
8. उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, राजस्थान, जयपुर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Shikha Mehra
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2025.04.03 04:25:54 IST
Reason: Approved

Annexure-4

THE KANAK VALLEY
GPS Map Camera
Jaipur, Rajasthan, India
Xr7w+hh7, Amer Rd, Jal Mahal, Amer, Jaipur, Rajasthan 302002, India
Lat 26.963691° Long 75.846272°
25/06/2025 05:18 PM GMT +05:30
Google

Jaipur, Rajasthan, India
Building, Amer Rd, Jal Mahal, Amer, Jaipur, Rajastha
India
Lat 26.963708° Long 75.846107°
25/06/2025 05:16 PM GMT +05:30